कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 15-06-2024

विषय:- पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में की गई अपराध समीक्षा गोष्ठी, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

- **थाने के किसी भी कर्मचारी को भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी के साथ-साथ थानाध्यक्ष भी होंगे जिम्मेदार**
- **सभी थानाध्यक्ष CUG फोन रिसीव करें**
- **सभी अधिकारी व थानाध्यक्ष दिन में 02 घण्टे "जनता दर्शन" कार्यक्रम हेतु आवंटित करें। जनता से अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मी होंगे दण्डित**
- **सुगम यातायात है प्राथमिकता, अतिक्रमण व अवैध स्टैण्ड संचालकों पर हो कार्यवाही।**
- **बीट प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन कर महिला आरक्षियों को किया जाए शामिल।**
- **त्यौहार व मा0 प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन के दृष्टिगत सभी थाना प्रभारी अशांति फैलाने व असामाजिक तत्वों पर रखें सतर्क दृष्टि**
- **अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध हो गुण्डा/गैंगेस्टर की कार्यवाही, सतत निगरानी हेतु खोली जाये हिस्ट्रीशीट**

आज दिनांक 15-06-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में अपराध समीक्षा गोष्ठी की गई। उक्त गोष्ठी में संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध श्री के. एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा सहित समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। गोष्ठी के दौरान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निम्नांकित दिशा-निर्देश दिये गये –

- **महिला सम्बन्धित अपराध में लापरवाही पर होगी निलम्बन की कार्यवाही।**
- **सभी लम्बित प्रकरणों का हो शीघ्र निस्तारण, पेंडेंसी हो शून्य।**

- **त्रिनेत्र अभियान के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाने का अभियान पुनः आरम्भ होगा।**
- **प्रत्येक उ0नि0 के पास हो उसका परफॉर्मेंस रजिस्टर जिससे हो उनके कार्यों का मूल्यांकन।**
- **थाना प्रभारी ड्यूटी पर जाने से पूर्व पुलिसकर्मियों को करें ब्रीफ।**

<u>अन्य निर्देश-</u>

1. थानों पर आने वाले आगन्तुकों/फरियादियों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण व पीड़ित को कृत कार्यवाही से अवगत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि थाने पर नियुक्त महिला आरक्षियों को पुरूष आरक्षियों के साथ बीट का आवंटन कर एक्टिव पुलिसिंग करायी जाए तथा बीट आरक्षी/मुख्य आरक्षी अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा भ्रमणशील रहकर सम्भ्रान्त लोगों के सम्पर्क में रहने व आमजन की शिकायतों का विधि के अनुसार समय से निस्तारण किया जाये।
3. महिला एवं बच्चों से सम्बन्धी अपराधों के सम्बन्ध में संवेदनशीलता पूर्वक त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि महिला हेल्प डेस्क की भांति साइबर हेल्प डेस्क पर प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाए। साइबर क्राइम की शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए सम्बन्धित बैंकों से समन्वय स्थापित कर फ्रॉड की गयी धनराशि को वापस कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए।
5. थानों पर पंजीकृत अभियोगों में वांछित अभियुक्तों, इनामिया, जिला बदर, एनबीडब्लू के विरूद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने व अभ्यस्त/शातिर अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा/गैंगेस्टर के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी हिस्ट्रीशीट भी खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. लम्बित एस.आर. केस, आरोपियों की वर्तमान स्थिति, गैंगेस्टर की कार्यवाही व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।
7. थाना क्षेत्र के टॉप-10/हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर लगातार सतर्क दृष्टि रखते हुए उनके क्रियाकलापों की निगरानी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

8. यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिक जाम लगने वाले चिन्हित स्थानों पर यातायात पुलिस के साथ स्थानीय थानों से भी ड्यूटी लगाई जाये । चौराहों/सड़कों पर हुये अतिक्रमण के विरूद्ध सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर योजनाबद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।

9. विजिबल पुलिसिंग के तहत थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के बाजार, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त करें। इस दौरान लोगों से संवाद स्थापित करें, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े साथ ही पुलिस का सूचना तंत्र भी मजबूत हो।

10. वाराणसी आने वाले पर्यटकों के साथ किसी प्रकार की घटना घटित न हो, पर्यटन के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मंदिर, घाटों व बाजारों में भीड़ की आड़ में अपराध कारित करने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही की जाये।

11. थाना क्षेत्र में अवैध शराब, मादक पदार्थों एवं अवैध शस्त्रों की तस्करी आदि अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही की जाये।

12. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना क्षेत्र में होने वाली वाहन चोरी/नकबजनी व अन्य चोरियों के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

13. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना क्षेत्र में शरीर एवं सम्पत्ति सम्बन्धित घटित होने वाले अपराध, अपराध का तरीका, अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी एवं उन पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

14. आम जनमानस से पुलिसकर्मी शालिनतापूर्वक व्यवहार करें, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। शिकायत प्राप्त होने पर पुलिसकर्मी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।